सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 25.08.2026

- **"ऑपरेशन शुद्धि" के तहत थाना हाथीनाला पुलिस एवं एएनटीएफ यूनिट लखनऊ की संयुक्त कार्रवाई में 01 शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार**
- **एम्बुलेंस वाहन में छिपाकर ले जाया जा रहा कुल 81.300 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद (अनुमानित कीमत 41 लाख रूपये)**
- **तस्करी में प्रयुक्त एम्बुलेंस वाहन संख्या WB04F3083 (अनुमानित कीमत 07 लाख), 01 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन एवं ₹1,100/- नगद बरामद**
- **कुल अनुमानित कीमत 48 लाख रुपये**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में **"ऑपरेशन शुद्धि"** के तहत मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन **श्री ऋषभ रुणवाल** व अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय **श्री अनिल कुमार** के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी ओबरा **श्री प्रभात राय** के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट लखनऊ एवं थाना हाथीनाला पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 24/25.08.2026 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना हाथीनाला क्षेत्रान्तर्गत दुद्धी मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस वाहन को रोककर तलाशी ली गई। वाहन के केबिन के फर्श में एल्यूमिनियम की चादर के नीचे बनाए गए गुप्त कैबिनेट से 36 टेपशुदा बंडलों में कुल 81.300 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। मौके पर अभियुक्त की जामा तलाशी से 01 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन एवं ₹1,100/- नगद तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त एम्बुलेंस वाहन संख्या WB04F3083 बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 24.08.2026 को एएनटीएफ यूनिट लखनऊ को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एम्बुलेंस वाहन से अवैध गांजा की तस्करी की जा रही है। सूचना पर एएनटीएफ टीम द्वारा जनपद सोनभद्र पहुंचकर अभिसूचना संकलित की गई। इसी दौरान सूचना मिली कि उड़ीसा से एम्बुलेंस में गांजा लेकर दुद्धी मार्ग से थाना हाथीनाला क्षेत्र होते हुए सुल्तानपुर ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाना हाथीनाला पुलिस के सहयोग से हाथीनाला तिराहे के पास चेकिंग की गई। कुछ समय बाद संदिग्ध एम्बुलेंस को रोकने पर चालक द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम ने पकड़ लिया।

कृत कार्यवाही—

पकड़े गए चालक ने अपना नाम **समीर सरकार पुत्र त्रिशंकु सरकार, निवासी फरक्का, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 35 वर्ष** बताया। धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकारी ओबरा श्री प्रभात राय की उपस्थिति में तलाशी ली गई। अभियुक्त के बताए अनुसार एम्बुलेंस के फर्श में लगी एल्यूमिनियम चादर के नीचे बनाए गए गुप्त कैबिनेट से **36 टेपशुदा बंडल बरामद हुए**, जिनका वजन **81.300 किलोग्राम अवैध गांजा** पाया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी से **01 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन एवं ₹1,100/- नगद** बरामद हुए तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त **एम्बुलेंस वाहन संख्या WB04F3083** को कब्जे में

लिया गया। उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना हाथीनाला पर मु0अ0सं0-38/2026 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण—

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उक्त गांजा एक व्यक्ति द्वारा उड़ीसा के सम्बलपुर से एम्बुलेंस वाहन में लोड कराकर भेजा गया था। अभियुक्त उक्त गांजा लेकर **सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश** जा रहा था। सुल्तानपुर पहुंचने के बाद फोन के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति/पार्टी द्वारा वाहन को ले जाकर गांजा उतार लिया जाता तथा इसके एवज में अभियुक्त को पैसा दिया जाता था।

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर गांजा तस्करी का कार्य करते हैं तथा इससे प्राप्त लाभ को आपस में बांटकर अपने एवं परिवार के भरण-पोषण में उपयोग करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. समीर सरकार पुत्र त्रिशंकु सरकार, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी नं0 02 निशीन्दरा कॉलोनी, फरक्का, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।

बरामदगी का विवरण—

1. 36 टेपशुदा बंडलों में कुल 81.300 किलोग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत 41 लाख रुपये)।
2. गांजा तस्करी में प्रयुक्त एम्बुलेंस वाहन संख्या WB04F3083 (अनुमानित कीमत 07 लाख रुपये)।
3. 01 एण्ड्रॉयड मोबाइल फोन।
4. ₹1,100/- नगद।
5. कुल अनुमानित कीमत 48 लाख रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष विनोद कुमार यादव थाना हाथीनाला जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 सूरज सिंह, टीम प्रभारी एएनटीएफ यूनिट लखनऊ।
3. उ0नि0 सुरेश राम यादव थाना हाथीनाला जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 मो0 खालिद खाँ, हे0का0 राजेश सिंह यादव, हे0का0 दीपक कुमार, हे0का0 नन्दलाल यादव, हे0का0 बृजेश कुमार यादव, हे0का0 चालक सुनील कुमार, का0 राजन कुमार।